

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- स्टोर/2018-19/34

दिनांक :- 28-9-18

### कार्यालय आदेश

मण्डल (मुख्यालय) में पदस्थापित अधिकारियों तथा मण्डल के वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों के लिए टैक्सी वाहन अनुबन्ध के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F9(1)FD(1)Budget/2015 दिनांक 15.07.2015 की शर्तों व दरों तथा मण्डल की शर्तों व दरों पर माह अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक लगाने हेतु मण्डल के आदेश क्रमांक स्टोर 2017-18/81 दिनांक 05.10.2017 तथा 82 दिनांक 05.10.2017 तथा समय-समय पर अन्य आदेशों द्वारा लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिसकी कार्यावधि दिनांक 30.09.2018 को समाप्त होने जा रही है। अतः मण्डल में विभिन्न आदेशों में संचालित सभी टैक्सी वाहनों की समयावधि दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ाई जाती है। जिसकी शर्त व दरें पूर्व आदेशों के अनुरूप यथावत रहेगी।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

50  
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अ.-(मु.)/I/II रा.आ.म. जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मु. ले. 2016.खाधिकारी, रा.आ.म. जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता.....रा.आ.म. जयपुर।
4. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप-सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म. ....।
6. उप आवासन आयुक्त.....रा.आ.म. ....।
7. आवासीय अभियन्ता,..... रा.आ.म. ....।
8. समस्त वाहन प्रभारी.....।
9. लेखाधिकारी (भुगतान) रा.आ.म. जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर